न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीदासर

पीठासीन अधिकारी श्योराम वर्मा
(आर.ए.एस.)

दिनांक:– 07/07/2020

न.मु.– 127/2019

1. सीतारामसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी चाडवास तहसील बीदासर जिला चूरू (राज0)

.........वादी

बनाम

1. चन्द्रकला पुत्री हनुमानमल जाति ओसवाल चोरड़िया निवासी चाडवास तहसील बीदासर जिला चूरू (राज0) हाल निवासिनी मकान नम्बर 22/2 सुरजविला, 16वी, मैन द्वितीय क्रोस जयनगर, तृतीय ब्लॉक बैगलोर (कर्नाटका)
2. मंजू पुत्री हनुमानमल जाति ओसवाल चोरड़िया निवासी चाडवास तहसील बीदासर जिला चूरू (राज0) हाल निवासिनी मकान नम्बर 22/2 सुरजविला, 16वी, मैन द्वितीय क्रोस जयनगर, तृतीय ब्लॉक बैगलोर (कर्नाटका)
3. दिलीप कुमार पुत्र हनुमानमल जाति ओसवाल चोरड़िया निवासी चाडवास तहसील बीदासर जिला चूरू (राज0) हाल निवासी एस. ए. ट्रेडर्स नम्बर 233 खारा कुआं का पोल, पाथसा पोल गांधीरोड़ अहमदाबाद (गुजरात)
4. कमलकुमार पुत्र हनुमानमल जाति ओसवाल चोरड़िया निवासी चाडवास तहसील बीदासर जिला चूरू (राज0)
5. जिनकु देवी पत्नी हनुमानमल जाति ओसवाल चोरड़िया निवासी चाडवास तहसील बीदासर जिला चूरू (राज0)
6. पदमचन्द पुत्र हनुमानमल जाति ओसवाल चोरड़िया निवासी चाडवास तहसील बीदासर जिला चूरू (राज0)
7. वल्लभकुमार पुत्र हनुमानमल जाति ओसवाल चोरड़िया निवासी चाडवास तहसील बीदासर जिला चूरू (राज0)
8. विजयसिंह पुत्र भोपालसिंह जाति ओसवाल चोरड़िया निवासी चाडवास तहसील बीदासर जिला चूरू (राज0)
9. शुभकरण पुत्र बिशनचन्द जाति ओसवाल चोरड़िया निवासी चाडवास तहसील बीदासर जिला चूरू (राज0)
10. शांतीलाल पुत्र हनुमानमल जाति ओसवाल चोरड़िया निवासी चाडवास तहसील बीदासर जिला चूरू (राज0)
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बीदासर (चूरू)
12. उपपंजीयक बीदासर (चूरू)

प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.08.10 16:41:43 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व वाद घोषणात्मक, [illegible] भूमि का विधिवत रूप से विभाजन एवं चिर निषेधाज्ञा डिग्री जारी करने बाबत [illegible] एवं मौखिक प्रमाणों के आधार पर।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला–चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned with CamScanner

उपस्थित :

1. विद्वान अधिवक्ता श्री दीनदयाल प्रजापत वादी की ओर से...
2. विद्वान अधिवक्ता श्री अरविन्द चौधरी प्रतिवादी संख्या 1 वा 3 की ओर से...
3. इकतरफा कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 4 ता 10
4. पैरोकार राज. प्रतिवादी संख्या 11 वा 12

– : निर्णय :–

दिनांकः– 7/07/2020

प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि खेत खसरा नं. 509 तादादी 04 बीघा 11 बिस्वा (हेक्टेयर 1.1508) वाके रोही ग्राम चाडवास तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। जो वादी, प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज है। जिसको उपरोक्त खेत को वादगत खेतों के नाम से सम्बोंधन किया गया है। वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में कमलकुमार पुत्र हनुमानमल हिस्सा 1/8 हिस्सा, चन्द्रकला पुत्री हनुमानमल 1/8 हिस्सा, जिनकु देवी पत्नी हनुमानमल 59/728 हिस्सा, दिलीप पुत्र हनुमानमल 59/728 हिस्सा, पदमचन्द पुत्र हनुमानमल 59/728 हिस्सा, मंजू पुत्री हनुमानमल 1/8 हिस्सा शांतिलाल पुत्र हनुमानमल 1/32 हिस्सा, शुभकरण पुत्र बिशनचन्द 3/32 हिस्सा जाति ओसवाल चोरड़िया निवासी चाडवास खातेदार दर्ज है। विजयसिंह पुत्र भोपालसिंह 16/91 हिस्सा जाति राजपूत निवासी रणधीसर के नाम खातेदारी दर्ज चली आ रही है जो कि चन्द्रकला, मंजू के नाम गलत खातेदारी दर्ज है। जिसको सही करवाने की वादी कानूनी अधिकारी है। दिनांक 29.8.2017 को चन्द्रकला व मंजू पुत्रियां स्व, हनुमानमल निवासी चाडवास तहसील बीदासर जिला चूरू हाल निवासिनी मकान नम्बर 22/2 सुरजविला, 16वी, मैन द्वितीय कोस जयनगर, तृतीय ब्लॉक बैगलोर (कर्नाटका) के मुख्त्यार आम दिलिपकुमार पुत्र स्व. हनुमानमल निवासी चाडवास तहसील बीदासर जिला चूरू हाल निवासी एस. ए. ट्रेडर्स नम्बर 233 खारा कुआं का पोल, पाथसा पोल गांधीरोड़ अहमदाबाद (गुजरात) ने चन्द्रकला, मंजू पुत्रियां हनुमानमल ने अपना 1/8–1/8 भाग खेत मे से 18 बिस्वा सीतारामसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति रावणा राजपुत निवासी ग्राम चाडवासी तहसील बीदासर जिला चूरू को जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र के द्वारा विक्रय कर दी थी। लेकिन केता ग्रामीण अंचल का भोला–भाला व्यक्ति होने के कारण उपरोक्त खरीदशुदा जमीन खेत अपने नाम नही चढा सका जिसके कारण उपरोक्त विकित खेत भूमि भाग वर्तमान में उपरोक्त चन्द्रकला व मंजू के नाम खातेदारी दर्ज चली आ रही है। जिसको सही व अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने व खाते का विभाजन करवाने का वादी कानूनी अधिकारी है। वादी द्वारा उक्त विक्रय पत्र की फोटो प्रति पटवारी व तहसीलदार बीदासर को दी थी लेकिन सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही व गफलत के कारण आज तक खातेदारी में गलत अंकन चला आ रहा है जिसकों सही करवाने का वादी कानूनी अधिकारी है। वादी के हिस्से में 18 बिस्वा हिस्सा बनता है। उपरोक्त 4 बीघा 11 बिस्वा खेत संयुक्त अविभाजित खातेदारी के खेत है। जिनका विधिवत रूप से विभाजन नही हुआ है। जब तक विधिवत रूप से विभाजन नही हो जाता तब तक प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक व्यक्ति का कब्जा होता है। जिसका रिकार्ड में संशोधन व विभाजन करवाने का वादी कानूनी हकदार अधिकारी है। वादी ने उपरोक्त संयुक्त अविभाजित खातेदारी का रिकार्ड में संशोधन व विभाजन हेतु प्रतिवादीगण को कई बार मौखिक रूप से निवेदन किया लेकिन प्रतिवादीगण हर बार टालमटोल करते रहे। जबकि वादी अपने हिस्से प्राप्त करवा रिकार्ड में संशोधन कर विभाजन करवाना चाहता है। जिसका वो कानूनी अधिकारी है। प्रतिवादीगण के नियत में फर्क आ गया है ओर उपरोक्त संयुक्त अविभाजित खातेदारी खेत का रिकार्ड में संशोधन करवाये बिना हस्तान्तरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.08.10 16:31:43 IST
Reason: Self Attested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned with CamScanner

करना चाहते है। जबकि जब तक विधिवत रूप से रिकार्ड में संशोधन व विभाजन नही हो जाता, तब तक प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक इंच पर अधिकार होता है। वादगत भूमि मे वादी की 18 बिस्वा भूमि भाग में खातेदारी दर्ज होनी थी। लेकिन प्रतिवादी सं. 01 ता 10 के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है प्रतिवादीण के मन में लालच आ गया है और वे संयुक्त अविभाजित वादगत भूमि को बिना विधिवत रिकार्ड संशोधन व विभाजन के विकय व अन्य प्रकार से हस्तान्तरण रहन/बन्धक, कुआ खुदवाने बैको से ऋण आदि आदि करने पर आमदा है व वादी को उसके हक वा हिस्से की भूमि से महरूम करना चाहते है जबकि वादगत भूमि में वादी का अपने हक हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग व अधिकार चला आ रहा है। प्रतिवादीगण वादी को एलानिया धमकिया दे रहे है कि वादगत भूमि को विकय का सौदा तय कर लिया है। व आपको बेदखल करके रहेगे व सम्पूर्ण भूमि को विकय कर देगे इसलिए वादी के लिये यह आवश्यक हो गया कि वो प्रतिवादियों को जरिये चिरनिषेधाज्ञा पाबन्द फरमाये कि वादगत भूमि मे से वादी के हक व हिस्से की भूमि से बेदखल ना करे विकय, किसी भी तरह का हस्तान्तरण, रहन, वैय आदि आदि ना करे ना ही वादी को उसके काश्त, उपयोग, उपभोग की खातेदारी भूमि से बेदखल ना करे। ना ही काश्त मे दखलअन्दाजी देवे ना ही अन्य किसी व्यक्ति से दखलअन्दाजी दिलावे। ना ही अन्य कोई ऐसा कार्य करे जिससे वादी के वैध अधिकारो पर विपरीत प्रभाव पड़े। प्रतिवादीगण ने दिनांक 12.11.2019 को ऐलानिया धमकियां दी की वादगत भूमि विकय, हस्तान्तरण कर देगें वादी ने प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया कि संयुक्त अविभाजित खेत का रिकार्ड में संशोधन व विभाजन करावा लेवें तो टालमटोल करते रहे दिनांक 12.11.2019 को साफ इन्कार हो गये। यही वाद हैतुक है। व विधिवत रूप से रिकार्ड में संशोधन व विभाजन करवाने का वादी को कानूनी अधिकार है। वादी अलग हिस्सा कायम करवाना चाहता है वादी को वादाधार प्राप्त है। आदि आदि

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण 1 ता 12 को तलब किया गया तथा प्रतिवादीगण 4 ता 10 बावजूद तामिल अनुपस्थित होने से उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही को आदेश अमल में लाया गया। प्रतिवादी संख्या 3 व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 की ओर से जरीये मुखत्यार आम भाई दिलिप कुमार की ओर से एडवोकेट अरविन्द चौधरी ने वकालत नामा पेश किया, वादी वा प्रतिवादीगण संख्या 1 वा 3 की ओर से राजीनामा पेश किया गया।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतू कायम की गई वादी सीताराम सिंह के बयान जरिये शपथ पत्र लेखबद्ध करवाये गये। दस्तावेज साक्ष्य में जमाबन्दी, नक्शा प्रदर्स पी. 1 व तथा विक्रय पत्र दिनांक 29/8/2017 प्रदर्स पी. 2 तथा विक्रय पत्र दिनांक 29/8/2017 की छायाप्रति प्रदर्स पी. 2 (ए) वा राजीनामा प्रदर्स पी. 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस सुनी गई अधिवक्ता वादी ने कथन किया कि जरिये **राजीनामा के आधार पर** दावा वादी का डिक्री किया जावे तथा घोषित किया जाये कि खेत खसरा नं. 509 तादादी 4 बीघा 11 बिस्वा वाके रोही चाडवास तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। उपरोक्त खेत 4 बीघा 11 बिस्वा में चन्द्रकला, मंजू का 1/4 हिस्सा की संयुक्त खातेदारी में नाम दर्ज था। वादी के हिस्से में उपरोक्त भूमि भाग खेत में से 18 बिस्वा हिस्सा जरिये विकय पत्र दिनांक 29.08.2017 के आधार पर बनता है। वादी के नाम 18 बिस्वा हिस्सा भूमि को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाये तथा उपरोक्त खातेदारी में संशोधन कर खाता विभाजन कर वादी का हक हिस्सा अलग खाता कायम किया जावे। प्रतिवादियों को जरिये चिरनिषेधाज्ञा पाबन्द फरमाये कि वादगत भूमि मे से वादी के हक व हिस्से की भूमि से बेदखल ना करे विकय, किसी भी तरह का हस्तान्तरण, रहन, वैय आदि आदि ना करे ना ही वादी को उसके कब्जे, काश्त, उपयोग, उपभोग की खातेदारी भूमि से बेदखल ना करे। ना ही काश्त मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.08.10 16:51:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned with CamScanner

दखलअन्दाजी देवे ना ही अन्य किसी व्यक्ति से दखलअन्दाजी दिलावे। ना ही अन्य कोई ऐसा कार्य करे जिससे वादी के वैध अधिकारो पर विपरीत प्रभाव पड़े। प्रतिवादी सं. 11 तहसीलदार बीदासर को आदेशित फरमाया जावे कि मुताबिक निर्णय व डिक्री राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो दिलायी जावे। खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे। पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया व परिशिलन किया। वादपत्र के अनुतोष एवं प्रंस्तुत राजस्व रिकार्ड एवंम दस्तावेजों व साक्ष्य के आधार पर वादी व प्रतिवादीगण वादगत कृषि भूमि का विभाजन कराने के अधिकारी है और वादी का वाद डिक्री किये जाने योग्य है।

–: आदेश :–

वादी का वाद राजीनामा के आधार पर अन्तिम डिक्री किया जाता है कि खेत खसरा नं. 509 तादादी 4 बीघा 11 बिस्वा वाके रोही चाडवास तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। उपरोक्त खेत 4 बीघा 11 बिस्वा में चन्द्रकला, मंजू का 1/8,1/8 यानी कुल 1/4 हिस्सा की संयुक्त खातेदारी में नाम दर्ज में से 18 बिश्वा वादी के नाम खातेदारी दर्ज की जावे । वादी के हिस्से में उपरोक्त भूमि भाग खेत में से 18 बिस्वा हिस्सा जरिये विक्रय पत्र दिनांक 29.08.2017 के आधार पर बनता है। वादी के नाम 18 बिस्वा हिस्सा भूमि को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाये तथा उपरोक्त खातेदारी को संशोधन कर खाता विभाजन कर वादी का हक हिस्सा अलग खाता कायम किया जावें। वा प्रतिवादी गण को जरिये चिरनिषेधाज्ञा से वर्जित किया जाता है कि वोह वादी के हक व हिस्से की भूमि से बेदखल ना करे ना ही वादी को उसके कब्जे, काश्त, उपयोग, उपभोग की खातेदारी भूमि से बेदखल ना करे। तथा वादी के अधिकारों के विपरीत कोई कृत्य नही करें। मुकदमा खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगें। विभाजन प्रस्ताव हेतु प्रतिवादी संख्या 11 बीदासर तहसीलदार बीदासर के नाम आदेश जारी हो कि निर्णय वा डिक्री की पालना करें। इस हेतु अलग से लिखा जावे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 07-07-2020 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.08.10 16:51:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner